

**Public Notice in compliance of Hon'ble Supreme
Court directions vide order dated 16.11.2016
regarding PC & PNDT Act 1994**

*Section 22 of the PC-PNDT Act, 1994 prohibits any advertisement in any form, **including internet** relating to preconception and prenatal determination of sex or sex selection.*

Any contravention is punishable with imprisonment up to 3 years and with fine up to 10,000 Rupees.

The Hon'ble Supreme Court, keeping in view the provisions of the PC-PNDT Act, 1994 by order dated 16.11.2016 in Writ Petition (Civil) No. 341 of 2008, directed the Union of India to constitute a Nodal Agency as an interim arrangement to regulate and remove the e-advertisements relating to preconception and prenatal determination of sex or sex selection on internet.

Nodal Agency accordingly has been constituted on 17.01.2017 by Government of India under Ministry of Health and Family Welfare and is designated as below:

NODAL AGENCY

For monitoring E-advertisements related to Pre-conception and Prenatal determination of sex or sex selection prohibited under PC&PNDT Act, 1994

Nodal Officers: 1. Dr. Chetan Chouhan,
Senior Medical Officer (SMO)
Mobile No. 9818305703
2. Dr. Geetanjaly Singh,
Senior Medical Officer (SMO)
Mobile No. 9968545794
E-mail: pcpndtcomplaints@nihfw.org,
chetanchouhan@nihfw.org,
geetanjaly@nihfw.org

पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2016 की अनुपालना में सार्वजनिक सूचना

पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 की धारा 22 गर्भधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन व निर्धारण से सम्बन्धित कोई विज्ञापन जो किसी भी रूप में **इन्टरनेट सहित** पर प्रतिबन्ध लगाता है ।

किसी भी उल्लंघन के लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा के साथ 10,000/- रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है ।

पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 की रिट याचिका (सिविल) नं0 341 में दिए गए आदेश दिनांक 16.11.2016 द्वारा भारत संघ को अतिरम व्यवस्था के रूप में गर्भधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन व निर्धारण से सम्बन्धित विज्ञापन को इन्टरनेट पर विनियमित करने व हटाने के लिए, एक नोडल ऐजन्सी गठित करने का आदेश दिया है ।

तदानुसार भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत दिनांक 17.01.2017 को नोडल ऐजन्सी गठित की गई ओर निम्न को नामित किया गया :

नोडल ऐजन्सी

पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के तहत गर्भधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन व निर्धारण से सम्बन्धित प्रतिबंधित ई-विज्ञापन की निगरानी के लिए

- नोडल अधिकारी:
1. डॉ0 चेतन चौहान,
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ)
मोबाईल नं0 9818305703
 2. डॉ0 गीतांजली सिंह,
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ)
मोबाईल नं0 9968545794

ई-मेल : pcpndtcomplaints@nihfw.org,
chetanchouhan@nihfw.org,
geetanjaly@nihfw.org